



विशेष मुद्रा प्राधिकृति के अन्तर्गत

रजिस्टर्ड-पत्र

144228960  
30/11

संख्या / No.....  
पेंशन प्राधि./आदेश/क- 85/2017-18/3077

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग  
कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हक.) राजस्थान  
INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT  
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E), RAJASTHAN

दिनांक / Date..... 29/11/17

श्रीमान मुषाम महालेखाकार (लेखा एवं हक.)  
खान्दु उड्डरा, बेफाबाद रोड,  
हैदराबाद  
-500004-

O/o Pri. Accountant General (A&E)  
AP & Telangana, Hyderabad  
23-NOV-17



494529-A


- विषय:- (1) राजस्थान राज्य पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स को देय महंगाई राहत आदेशों की प्रतिया दर 139% दिनांक 01.07.2017 से
- (2) पांचवे वेतन आयोग के अनुसार पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनर्स/पा. पेंशनर्स को दिनांक 01.07.2016 से 256%, 01.01.2017 से 264% एवं 01.07.2017 से 268% महंगाई राहत आदेश |

महोदय,

राजस्थान सरकार, वित्त विभाग द्वारा महंगाई राहत वृद्धि के सम्बन्ध में जारी आदेशों की प्रतियाँ सलग्न कर प्रेषित की जा रही है |

आपसे अनुरोध है कि उक्त आदेश अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत समस्त कोषाधिकारियों / पेंशन भुगतान अधिकारियों / बैंक शाखाओं को प्रसारित कर भुगतान हेतु निर्देशित करने का श्रम करे तथा प्रति इस कार्यालय को भी प्रेषित करने का श्रम करे |

सलग्न:- अपरोक्षानुसार



भवदीय,  
[Signature]  
लेखाधिकारी/ पेंशन प्राधिकृति